क्रम सं.	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1)उदय राम (2)बिरेन्द्र कुमार पासवान, पिता–स्व0 लोचन राम, (3)आरती देवी, पति–स्व0 अरूण राम, ग्राम–कोर्रा बाबुगांव, थाना–कोर्रा, जिला–हजारीबाग द्वारा अंचल–सदर, ग्राम–कोर्रा, थाना नं0–156, खाता संख्या–49, प्लॉट संख्या–33, रकवा–08 डी0 भूमि शकुन्तला देवी, पति–बुधन रविदास, ग्राम–गदोखर, थाना–कटकमसांडी, जिला–हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 56/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जॉच प्रतिवेदन की मॉग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता शकुन्तला देवी एवं विक्रेता उदय राम वगै0 अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 24 डी0 भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं बढ़न दुसाध के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। पंजी–II के पृष्ट सं0 26/I पर लोचन दुसाध के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2020–21 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता उदय राम का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र संख्या JHRC/2017/1254032 दिनांक 18.09.2017 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCC/2017/1170119, दिनांक–25.08.2017 और क्रेता शकुन्तला देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र संख्या–JHRC/2021/195892 दिनांक 10.05.2021 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा ऑनलाईन निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCSC/2021/50300 दिनांक 07.06.2021 के आधार पर तथा अंचल

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-कोर्रा, थाना नं0-156, खाता संख्या-49, प्लॉट संख्या-33, रकवा-08 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.03.31 12:57:05 +05:30
Location: 192.168.100.2